राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 537/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
वृत–शाहजहांपुर
बनाम्

.....अपीलार्थी.

मैसर्स घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स,
बहरोड, अलवर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
श्री सतीश गुप्ता,
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

..प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.04.2017

निर्णय

1. यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–बी,भिवाडी (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त(अपील्स), अलवर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 133/2008–09/आरएसटी/उपा–अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 24.02.2010 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 100 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत टर्न ओवर मय अधिभार रुपये 46766/– एवं ब्याज रुपये 20302/– हुए कुल रु. 67,068/–आरोपित किया है, को इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण करते हुए पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के लिये टर्नओवर प्रशमन योजना के अन्तर्गत विकल्प लेने हेतु विकल्प पत्र पेश नहीं किया गया, इसलिये आलौच्य अवधि के कुल टर्नआवेर रुपये 1,62,66,446/– पर 0.25 प्रतिशत की दर से टर्नओवर टैक्स मय अधिभार रुपये 46766/– व ब्याज रुपये 20302/– कुल राशि रुपये 67068/– की मांग सृजित की गई। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध सशक्त अधिकारी की ओर से यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार

कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना F.4(1)F.D.TAX DIV/ 2000-302 दिनांक 30.03.2000 के तहत आलौच्य अवधि हेतु टर्न ओवर टैक्स प्रशमन योजना का विकल्प लिया जाकर विकल्प पत्र दिनांक 03.10.2001 को निर्धारित समयावधि में कार्यालय में पेश कर दिया था। अतः उन्होनें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक को उचित व विधिक बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलधीन आदेश का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ति नहीं होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने टर्न ओवर प्रशमन योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये विकल्प को स्वीकार किया जाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करना चाहिए था।

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। इसलिए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिये जाने के पश्चात राजस्थान कर बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान के पश्चात पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

4. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष